(d) if so, the details of the agencies competent to examine the credibility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) Yes, Sir.

(b) Operating Agency, appointed by BIFR, prepares the revival package for sick companies as per the guidelines issued by BIFR Bench.

(c) The revival package prepared by the Operating Agency on the basis of the guidelines issued by the Bench is examined by the Bench and the copy of the Scheme with modifications, if any, made by the Board is sent as a draft scheme to the sick company and the Operating Agency and all the other concerned parties inviting suggestions and objections within the time specified by the Bench. The approved draft scheme is also published in newspaper (both National and local dailies) so as to give it wider publicity. On the basis of the suggestions and objections, if any, received either from the company or any other party, necessary modifications are incorporated in the scheme and the same is thereafter sanctioned by the Board under Section 18(4) of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and would come into force on such date as the Board may specify and it is binding on all parties concerned.

(d) Under Section 25(1) of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, any person aggrieved by an order of the Board made under this Act may, within 45 days from the date on which a copy of the order is issued to him, prefer an appeal to the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction.

ज्ञानपीठ पुरस्कार

733. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लेखकों और कवियों को पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और 1993, 1994 तथा 1995 के वर्षों के दौरान "ज्ञानपीठ पुरस्कार" हेतु प्रस्तावित लेखकों के नाम क्या थे तथा उपर्युक्त तीनों वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को अंततः यह पुरस्कार प्रदान किया गया था ; और

(ख) क्या हिन्दी साहित्य के लेखक "श्री उपेन्द्र नाथ अश्क" के नाम का "ज्ञानपीठ पुरस्कार" हेतु कभी प्रस्ताव किया गया था, यदि हां, तो किस वर्ष के लिए तथा उन्हें यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया था?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग और संस्कृति (विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) वर्ष 1994 से अस्तित्व में आए भारतीय ज्ञानपीठ नामक एक गैर सरकारी न्यास द्वारा वर्ष 1965 से एक वार्षिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। संस्कृति विभाग की पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा करने, नाम सुझाने अथवा चयन करने में कोई भूमिका नहीं होती है।

विश्व पुस्तक मेले में गांधी जी पर लिखित पुस्तकों की बिक्री

734. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व पुस्तक मेले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पुस्तक "गांधी वध क्यों" तथा उनकी हत्या के सह-अभियुक्त गोपाल गोडसे की पुस्तक "गांधी वध और मैं" बेची जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुस्तकों का मूल्य तथा उनके प्रकाशक का नाम क्या है और उनकी कुल कितनी प्रतियां बेची गई;

(ग इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या पाकिस्तान तथा श्रीलंका के प्रकाशक इस पुस्तक मेले से नाराज थे, यदि हां, तो उनकी नाराज़गी के क्या कारण थे और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपा सिन्धु भोई): (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा दी गई सूचनानुसार सूर्य-भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित "गांधी-वध क्यों" की करीब 100 प्रतियां और गोपाल गोडसे द्वारा लिखित "गांधी वध और मैं" की 50 प्रतियां क्रमशः 35/-रुपये और 100/-रुपये के मूल्य पर 12वें विश्व पुस्तक मेले में बेची गई थीं।